न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 17 / 2021 GCMS No 2021 / 39

दायरा तिथि : 03.03.2021

फैसला तिथि : 30·07·2021

प्रार्थीगणः–

1. मनीषा उर्फ मागली पुत्री श्री नेमारामजी जाति सिरवी चौधरी पत्नि श्री देवेन्द्र चौधरी निवासी पुनाडिया तहसील बाली हाल निवासी सिन्दरली रोड मोरखा तह0 देसूरी जिला पाली
2. ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र नेमारामजी जरिए सरंक्षक बहिन मनीषा उर्फ मांगली प्रार्थी सं– 01 निवासी पुनाडिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री संदीप शर्मा .... अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री नरेन्द्र चौहान........................ पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार

दिनांक - 30·07·2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर उनके द्वारा ग्राम पुनाडिया तहसील बाली धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 436 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम (1) मांगली पुत्री नेमाराम (2) प्रकाश पुत्र नेमाराम** को दुरस्ती के माध्यम से **(1) मनीषा पुत्री नेमाराम (2) ओम प्रकाश पुत्र नेमाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रतिया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय की अंकतालिका की फोटो प्रतिया, एवं अन्य जमाबंदी ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 423, 424, 426 कुल खसरा– 03 कुल रकबा 0.11 हैक्टर की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। इन दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ बतौर मौखिक साक्ष्य सह खातेदार जीवाराम पुत्र केसाजी चौधरी, नेकाराम पुत्र केसाराम चौधरी, रकमोबाई पत्नि ईदाराम जाति चौधरी के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 436 में प्रार्थीगण के त्रुटिपुर्ण नाम **(1) मांगली पुत्री नेमाराम (2) प्रकाश पुत्र नेमाराम** दर्ज होने तथा प्रार्थीगण द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, विद्यालय की अंकतालिका की फोटो प्रतिया, एवं अन्य जमाबंदी ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 423, 424, 426 कुल खसरा–03 कुल रकबा 0.11 हैक्टर की जमाबंदी की प्रति में प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम **(1) मनीषा पुत्री नेमाराम (2) ओम प्रकाश पुत्र नेमाराम** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा मनिषा एवं मागली तथा प्रकाश एवं ओमप्रकाश एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत कोटबालियान एवं ग्राम पुनाडिया में मौतबिरान द्वारा करने से ग्राम पुनाडिया के खसरा नंबर 436 रकबा 0.31 हैक्टर के रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **(1) मांगली पुत्री नेमाराम (2) प्रकाश पुत्र नेमाराम** के स्थान पर **(1) मनीषा पुत्री नेमाराम (2) ओम प्रकाश पुत्र नेमाराम** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री संदीप शर्मा ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **(1) मनीषा पुत्री नेमाराम (2) ओम प्रकाश पुत्र नेमाराम** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर दिये है, जबकि प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि में नाम **(1) मांगली पुत्री नेमाराम (2) प्रकाश पुत्र नेमाराम** दर्ज है, जिसको दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् तहसीलदार, बाली के जबाव व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अवलोकन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम पुनाडिया तहसील बाली में धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 436 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपुर्ण नाम **(1) मांगली पुत्री नेमाराम (2) प्रकाश पुत्र नेमाराम को विलोपित** करते हुये **सही व शुद्ध नाम (1) मनीषा पुत्री नेमाराम (2) ओम प्रकाश पुत्र नेमाराम दुरस्ती के माध्यम से दर्ज** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, कोटबालियान को पालनार्थ भिजवाई जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

आदेश आज दिनांक 30·07·2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner